राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(ग)(38)नियम/डीएलबी/19/47159 दिनांकः 20/11/2020

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 38449 दिनांक 08.01.2020 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107(4) के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा कराने पर दिनांक 31.03.2020 तक एवं अधिसूचना क्रमांक स्पेशल–1 दिनांक 30.03.2020 के द्वारा 31.05.2020 एवं अधिसूचना क्रमांक 42596 दिनांक 28.5.2020 द्वारा 30.09.2020 तक निम्नानुसार छुट प्रदान की गयी थीः–

क्र सं	कर का नाम	दिनांक 30.09.2020 तक जमा कराने पर
1.	गृहकर	सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड /भवनों का एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत राशि की छूट एवं शास्ति पर शत–प्रतिशत छूट।
2-	नगरीय विकास कर	वर्ष 2019–20 तक एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज व शास्ति पर शत–प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों मे 8 वर्ष से पूर्व (अर्थात वर्ष 2011–12 से पूर्व) का नगरीय विकास कर बकाया है उन प्रकरणों मे एक मुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट।

जिसकी अवधि दिंनाक 31.12..2020 तक बढायी जाती है एवं पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नही खोला जायेगा तथा जमा राशि पुनः लौटाई नही जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.8(ग)(38)नियम/डीएलबी/19/47160-47618 दिनांकः 20/11/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज0 विभाग जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. महापौर/सभापति/अध्यक्ष समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं, समस्त राजस्थान।
04. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं, समस्त राजस्थान।
05. अधीक्षक, लेखन एंव मुद्रण सामग्री विभाग, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
06. उपनिदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
07. समस्त अधिकारी, निदेशालय।
08. नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग सेल ईगर्वनेन्स को गजट करवाने एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
09. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
10. सुरक्षित पत्रावली ।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned with CamScanner